க.ரா.பீ.நி
क.रा.बी.नि
E.S.I.C

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம் (தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்புத்துறை அமைச்சகம், இந்திய அரசு)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)

सत्यमेव जयते

மண்டல அலுவலகம் / क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
143, ஸ்டெர்லிங் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை –600034.
143, स्टर्लिंग रोड, नुंगमबाक्कम, चेन्नै - 600034.
143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai - 600034.
Phone: 28306300 (100 Lines) E-mail: rd-tamilnadu@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

परिपत्र/Circular

विषय : कार्यालय प्रमुखों/अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक श्रुतलेखन देने के लिए प्रोत्साहन योजना, वर्ष 2023-24

Subject: Incentive Scheme for Head of the Office/officers for giving more and more dictation in Hindi, Year 2023-24.

उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय के पत्र संख्या: ए-49/16/02/2020-रा.भा., दिनांक 06.06.2024 के संदर्भ में अनुरोध है कि निगम अधिकारियों को हिंदी में अधिकाधिक श्रुतलेखन देने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से हिंदी श्रुतलेखन प्रोत्साहन योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत विजेता अधिकारी को **हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी** वर्ग के अंतर्गत प्रत्येक को ₹5000/- पुरस्कार देने की व्यवस्था है। इस प्रकार किसी कार्यालय में दो पुरस्कार स्वीकृत किए जा सकते हैं। उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्वीकार्यता के लिए आवश्यक हिंदी हिंदी श्रुतलेखन कार्य की न्यूनतम संख्या 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयों में हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 100 श्रुतलेखन और हिंदीतर भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 75 श्रुतलेखन होगी और **'ग' क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयो में हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 75 श्रुतलेखन और हिंदीतर भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 60 श्रुतलेखन होगी (मुख्यालय पत्र संख्या ए-49/14/16/89-हिंदी, दिनांक 24.11.1995 के अनुसार)।** आशुलिपिक आदि संबद्ध न होने की स्थिति में हाथ से लिखी गई पंक्तियां श्रुतलेखन मानी जाएंगी। की-बोर्ड पर सीधे हिंदी टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा) भी श्रुतलेखन माना जाएगा। 10 पंक्तियों से कम के श्रुतलेखन की गणना नहीं की जाएगी। श्रुतलेखन रिकॉर्ड के साथ 10 नमूने प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है।

With reference to the Headquarters letter No. A-49/16/02/2020-OL, dated 06.06.2024 on the subject cited above, it is requested that the Hindi Dictation Incentive Scheme is in force to motivate the Corporation officers to give more and more dictations in Hindi. Under this scheme, there is a provision to provide a prize of ₹5000/- each to the winning officer under the Hindi-speaking and non-Hindi-speaking categories. Thus, two awards can be sanctioned in an office. The minimum number of Hindi dictation work required for acceptance under the said award scheme shall be 100 dictations per year for Hindi-speaking officers and 75 dictations per year for non-Hindi speaking officers in the Corporation Offices situated in 'A' & 'B' regions and 75 dictations per year for Hindi speaking officers and 60 dictations per year for non-Hindi officers in the Corporation Offices situated in 'C' region (As per Headquarters letter No. A-49/14/16/89-Hindi, dated 24.11.1995). If no stenographer etc. is attached, the lines written by hand will be considered as dictation. Hindi typing directly on the keyboard (by self and assistant) will also be considered as dictation. Dictation of less than 10 lines will not be counted. It is also mandatory to submit 10 samples along with the dictation record.

उक्त प्रोत्साहन योजना में **कार्यालय प्रमुख सहित सभी अधिकारी** भाग ले सकते हैं।

All the officers including **the Head of the Office** can participate in the said incentive scheme.

(क) **कार्यालय प्रमुख की प्रतिभागिता/Participation of Head of the Office** :

उक्त प्रोत्साहन योजना में, कार्यालय प्रमुखों के लिए श्रुतलेखन सपर्धा एवं पुरस्कार की घोषणा मुख्यालय स्तर पर अलग से की जाती है। अतः वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024) की उक्त प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के इच्छुक कार्यालय प्रमुख अपनी मातृभाषा का उल्लेख करते हुए कृपया हिंदी में दिए गए श्रुतलेखन संबंधी रिकॉर्ड निम्नलिखित प्रोफॉर्मा में भरकर दिनांक 12/07/2024 तक निगम मुख्यालय की राजभाषा शाखा को भेजें।

Under the said incentive scheme, dictation competition and prizes for the Heads of the Offices are announced separately at the Headquarters level. Hence, the Head of the Office willing to participate in the said incentive scheme for the year 2023-24 (01.04.2023 to 31.03.2024) should please fill the record of the dictation given in Hindi in the following proforma, mentioning their mother tongue and send it to the Official Language Branch of the Headquarters by 12/07/2024.

(ख) **अन्य अधिकारियों की प्रतिभागिता/Participation of other Officers** :

क्षेत्र इकाइयों के अन्य अधिकारियों के श्रुतलेखन रिकॉर्ड की समीक्षा संबंधित कार्यालय के स्तर पर की जाती है। अतः वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024) की उक्त प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के इच्छुक कार्यालय के अन्य अधिकारी अपनी मातृभाषा का उल्लेख करते हुए कृपया हिंदी में दिए गए श्रुतलेखन संबंधी रिकॉर्ड निम्नलिखित प्रोफॉर्मा में भरकर दिनांक 05/07/2024 तक इस कार्यालय की राजभाषा शाखा को भेजें।

The dictation records of other officers of field units are required to be reviewed at the level of the concerned office. Other officers of the office willing to participate in the said incentive scheme for the year 2023-24 (01.04.2023 to 31.03.2024) should please fill the record of the dictation given in Hindi in the following proforma, mentioning their mother tongue and send it to the Official Language Branch of this office by 05/07/2024.

वर्ष के दौरान अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले श्रुतलेखन के रिकॉर्ड का प्रोफॉर्मा

Proforma of the record of the dictation to be given by the Officers during the year

योजना अवधि/Scheme period : ____________

आवेदक का नाम/Name of the applicant :

पदनाम/Designation :

कर्मचारी संख्या/Employee number :

मातृभाषा/Mother tongue :

क्रम संख्या Sr. No.	दिनांक Date	श्रुतलेखन में लिखी गई पंक्तियों की संख्या Number of lines written in dictation	फाइल संख्या File no.	अभ्युक्ति Remarks

यह भी अनुरोध है कि आगामी वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 31.03.2025) के दौरान उक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारी कृपया हिंदी में दिए गए श्रुतलेखन का रिकॉर्ड उपर्युक्त प्रोफॉर्मा में रखें।

It is also requested that the officers willing to participate in the said scheme during the coming year 2024-25 (01.04.2024 to 31.03.2025) please keep the record of dictation in Hindi in the above-mentioned proforma.

यह परिपत्र कार्यालय अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This circular is being issued with the approval of the Head of the office.

Signed by
Rajesh Sharma
Date: 10-06-2024 18:22:36

(राजेश शर्मा/Rajesh Sharma)

उप निदेशक (राजभाषा)/Deputy Director (O.L.)

प्रति/To,

1. महानिदेशक, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
   Director General, Headquarters, ESIC, New Delhi for information please.
2. निजी सचिव, अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै।
   Personal Secretary, AC-cum-RD, Regional Office, ESIC, Chennai.
3. सभी अधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै।
   All Officers and Office Superintendent, Regional Office, ESIC, Chennai.
4. सभी शाखा प्रबंधक/प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, अधीनस्थ शाखा कार्यालय/ औषधालय-सह-शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै।
   All Branch Manager/IMO Incharge, Subordinate Branch Offices/DCBO, Regional Office, ESIC, Chennai.
5. क्षेत्रीय कार्यालय एवं अधीनस्थ शाखा कार्यालय औषधालय-सह-शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै के सभी कार्मिक।
   All officials of Regional Office and Subordinate Branch Offices/DCBO, ESIC, Chennai.
6. वेबसाइट प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
   Website Manager, Regional Office, ESIC, Chennai to upload it on the website.